राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

(स्वास्थ्य भवन, सी स्कीम, जयपुर)

क्रमांक : ई33/दन्त टेक्नी./(एफ–674)/2019/77 दिनांक : 28/01/19

आदेश

श्री गोपाल लाल शर्मा, दन्त टेक्नीशियन स्थानान्तरणाधीन ने अभ्यावेदन दिनांक 24.11.2018 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3917/2018 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2018 की प्रति संलग्न कर आदेश की पालना में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 26.06.2018 को निरस्त करते हुये यथावत दन्त टेक्नीशियन के पद पर सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में पदस्थापित रखे जाने एवं बकाया वेतन भुगतान कराने बाबत् निवेदन किया है।

निदेशालय के आदेश क्रमांक 578 दिनांक 26.06.2018 के क्रम संख्या 12 पर अंकितानुसार द्वारा श्री गोपाल लाल शर्मा, दन्त टेक्नीशियन का स्थानान्तरण/पदस्थापन सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर से सेटेलाईट अस्पताल मण्डोर, जोधपुर में किया गया है।

उक्त आदेश के विरूद्व याचि द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3917/2018 दायर की जिसमें राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2018 निम्नानुसार है:-

"अपलार्थी की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी दिनांक 26.11.2018 तक विभाग के समक्ष प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिपेक्ष्य में अगामी विधान सभा निर्वाचन के क्रम में वर्तमान में लागू आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) समाप्त होने एवं स्थानान्तरण से प्रतिबंध हटने के 20 दिवस में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दे अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के संबंध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 26.06.2018 (अनुलग्नक–1) को क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नही किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावें।"

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में पत्नी न्यूरो रोग एवं गठिया रोग से पीडित है जिसे तुरन्त चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है तथा विगत कुछ समय पहले फीशर एवं फिस्टुला का ऑपरेशन हुआ है के साथ अन्य पारिवारिक परिस्थितियों का उल्लेख किया है। निदेशालय के आदेश क्रमांक 578 दिनांक 26.06.2018 की पालना में क्रम संख्या 11 पर वर्णित श्री सुनील कुमार शर्मा, दन्त टेक्नीशियन ने अपीलार्थी के स्थान पर सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर मे कार्यग्रहण कर लेने के कारण दन्त टेक्नीशियन का पद रिक्त नही होने के फलस्वरूप आदेश क्रमांक 578 दिनांक 26.06.2018 को अपीलार्थी की सीमा तक निरस्त किया जाना सम्भव नही है। कार्मिक का स्थानान्तरण जोधपुर शहर में किया गया है जहां पर्याप्त चिकित्सीय सुविधाए उपलब्ध है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 3917/2018 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2018 के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी श्री गोपाल लाल शर्मा, दन्त टेक्नीशियन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 24.11.2018 को एतद् द्वारा अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई33/दन्त टेक्नी./(एफ–674)/2019/77 दिनांक : 28/01/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज. जयपुर।
2. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय।
3. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सेटेलाईट अस्पताल मण्डोर, जोधपुर।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. श्री गोपाल लाल शर्मा, दन्त टेक्नीशियन स्थानान्तरणाधीन को द्वारा अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
8. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,